पत्र सं0 विधि-4(3)-शासन संदर्भ -2012-13 / 166/ **1314042** / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधि-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
दिनांक :: लखनऊ : 09 सितम्बर,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
<u>वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश</u>

राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) द्वारा शासकीय विज्ञप्ति सं0 247 दिनांक 24-02-2010 में निहित शर्तों के अधीन निर्यातकों को दी जाने वाली छूट के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है -

(1) निर्माता / निर्यातकों द्वारा कच्चे आढ़तियों के माध्यम से कमीशन एजेन्सी के तहत धान की निर्यात हेतु खरीद निर्माता /निर्यातकों द्वारा अधिसूचना संख्या 247 की शर्तों के अनुसार फार्म "ई" जारी करने पर कच्चे आढ़तियों द्वारा धान की कमीशन पर अग्रेसित खरीद (6R से खरीद एवं 9R व सेल इन्वाइस से अग्रेसित धान) क्रय कर (वैट) की देयता से मुक्त रहेगी ?

(2) कच्चे आढ़तियों के द्वारा कमीशन एजेन्सी के तहत अग्रेसित धान की खरीद व बिक्री मासिक विवरणी में विभाग को किस प्रकार दर्शायी जाएगी ।

(3) निर्माता / निर्यातकों द्वारा कच्चे आढ़तियों को किस प्रकार भुगतान किया जाएगा ।

2- उक्त के परिशीलन से स्पष्ट है कि चावल निर्माताओं द्वारा कदाचित कच्चे आढ़ती तथा पक्के आढ़ती दोनों के संबंध में वस्तुस्थिति जानने की अपेक्षा की गयी है क्योंकि अपने वर्णित उपरोक्त बिन्दुओं में कमीशन पर चावल की बिक्री तथा कमीशन पर चावल की खरीद दोनों बिन्दुओं को उठाया गया है । यह स्पष्ट करना उचित होगा कि कच्चा आढ़तिया (Selling Commission Agent) वह है जो केवल किसान के माल की मण्डी परिसर में बिक्री करता है । ऐसा आढ़तिया केवल ऐसी बिक्री किए जाने पर कमीशन चार्ज करता है । यह कच्चा आढ़तिया किसी के लिए कमीशन पर कोई खरीद नहीं करता है । पक्का आढ़तिया (Purchasing Commission Agent) वह है जो किसी निर्देष्टा के लिए माल की कमीशन पर खरीद करता है । ऐसा आढ़तिया मण्डी परिसर में कच्चे आढ़ती से अपने निर्देष्टा के लिए खरीद करता है । उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2008 में उक्तानुसार वर्णित कच्चे तथा पक्के आढ़तियों को डीलर की परिभाषा में समाहित किया गया है । यह परिभाषा उक्त अधिनियम की धारा 2(h) में प्रख्यापित है ।

3- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली , 1965 के नियम-76 (10) में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि -"आढ़तिया अथवा विक्रेता द्वारा उसकी ओर से निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय के लिए रखा गया कोई भी अन्य व्यक्ति न तो अपने लिए और न ही अन्य व्यक्ति के लिए ऐसे उत्पादन के संबंध में क्रेता के रूप में कार्य करेगा । "

इसी प्रकार नियम 82 में दलालों का क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से काम करने के निषेध के प्राविधान निम्नानुसार किए गए हैं - "(1) इन नियमों के अधीन लाइसेंस रखने वाला कोई भी दलाल निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के किसी सौदे में क्रेता तथा विक्रेता दोनों की ओर से काम नहीं करेगा ।" यही स्थिति आढ़तिया की भी है । कोई भी कच्चा

आढ़तिया (Selling Commission Agent) एक ही संव्यवहार के लिए स्वयं ही पक्का आढ़तिया (Purchasing Commission Agent नहीं हो सकता है ।

इसका मूल कारण यही है कि कोई भी कमीशन एजेन्ट एक साथ क्रेता तथा विक्रेता दोनों का हितसाध्य नहीं कर सकता है । सेलिंग एजेन्ट के रूप में वह बिक्रेता के लिए अधिक से अधिक कीमत पर माल की बिक्री करवाना चाहेगा तथा परचेसिंग एजेन्ट के रूप में वह कम से कम मूल्य पर अपने निर्देष्टा के लिए संबंधित वस्तु क्रय करना चाहेगा । इस प्रकार एक ही संव्यवहार में दोनों के हितसाध्य एक साथ नहीं हो सकते हैं । इस कारण कच्चे आढ़ती (Selling Agent) तथा पक्के आढ़ती (Purchasing Agent) दोनों के संबंध में वस्तुस्थिति पृथक-पृथक होगी ।

4- यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि शासकीय विज्ञप्ति सं0 247 दिनांक 24-02-2010 में निम्न प्राविधान किए गए हैं -

"In exercise of the powers under clause(c) of section 7 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act , 2008 (U.P. Act no.5 of 2008) , the Governor is pleased to direct that no tax shall be payable under the said Act ,with effect from April 01 , 2010 on the turnover of direct sale to or direct purchase by manufacturer-exporter of any raw materials , processing materials , consumable stors , spare parts , accessories , components , lubricants , fuel other than petrol and diesel and packing materials for use in the manufacture of goods by him or in the packing of goods manufactured by him subject to the following conditions :

<u>Conditions</u>

(i) the above facilities will be available only when the manufactured goods is exported out of India .

(ii) the benefit of this facility shall be available to the selling dealer on the submission of declaration , in the Form prescribed by the Commissioner , obtained from the manufacturer exporter ;

(iii) if the manufactured goods are not exported out of India , the manufacturer-exporter claiming the benefit of this notification , shall be liable to pay tax , according to the provisions of the aforesaid Act and also interest from the date of purchase of such goods and if such manufactured goods are exported out of India and also sold otherwise or disposed off otherwise than by way of sale , then the purchase of such goods liable to tax shall be determined in accordance with the ratio of quantity of exported goods and goods otherwise sold or disposed off otherwise than by way of sale .

(iv) the manufacturer-exporter , for the export made during a tax period , shall submit the proof of export e.g. Form-H , Bill of lading , Airway bill etc. within three months of the end of tax period ;

(v) if the manufacturer-exporter is found having misused the facility under this notification , he shall be liable for penal proceedings under section 54 of the Act ;

(vi) in case of misuse of the facility under this notification prosecution proceedings may be undertaken under the relevant section of the Indian Penal Code . "

5- उक्त नोटिफिकेशन में वर्णित " direct sale to or direct purchase by manufacturer-exporter " शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि यह नोटिफिकेशन तभी लागू होगा जबकि निर्माता -एक्सपोर्टर द्वारा सीधे खरीद

की जाएगी अथवा ऐसे निर्माता -एक्सपोर्टर को सीधे बिक्री की जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि यदि **किसी के माध्यम से** यह खरीद या बिक्री की जाती है तो यह नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा।

6- यह भी उल्लेखनीय है कि इस नोटिफिकेशन के अन्तर्गत करमुक्ति पाने के लिए कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अवधारित फार्म-ई ऐसे निर्माता -एक्सपोर्टर द्वारा संबंधित विक्रेता डीलर को देना आवश्यक होगा जिसके आधार पर ऐसा विक्रेता डीलर करमुक्ति प्राप्त कर सकेगा।

7- यदि निर्माता-निर्यातक द्वारा कच्चे आढ़तिया Selling Commission Agent) से धान की सीधे (direct) खरीद की जाती है और ऐसे धान से निर्मित चावल का निर्यात कर दिया जाता है तथा ऐसे कच्चे आढ़तिया (Selling Commission Agent) को फार्म-ई जारी कर दिया जाता है तो उक्त नोटिफिकेशन ऐसे संव्यवहार पर लागू होगा तथा ऐसे कच्चे आढ़तिया को संबंधित संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसे प्राप्त फार्म-ई के प्रस्तुतीकरण पर प्रश्नगत संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में उक्त नोटिफिकेशन के अन्तर्गत करमुक्ति अनुमन्य होगी। ऐसा कच्चा आढ़तिया अपनी ऐसी बिक्री फार्म-ई के विरुद्ध दर्शाएगा तथा तदनुसार करमुक्ति का दावा अपने द्वारा प्रस्तुत संबंधित टैक्स पीरियड के रिटर्न में करेगा। ज्ञातव्य है कि कच्चा आढ़तिया (Selling Commission Agent) धारा 2(h) में यथा परिभाषित "डीलर" की परिभाषा में समाहित है।

8- यदि निर्माता-निर्यातक द्वारा पक्के आढ़तिया (Purchasing Commission Agent) के माध्यम से खरीद की जाती है तब यह नोटिफकिशन ऐसे संव्यवहारों पर लागू नहीं होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में खरीद पहले पक्के आढ़तिया (Purchasing Commission Agent) द्वारा कच्चे आढ़तिया (Selling commission Agent) से की जाएगी तथा इसके बाद प्रश्नगत खरीदे गए माल को निर्देष्टा को प्राप्त कराया जाएगा। चूंकि पक्का आढ़तिया (Purchasing commission Agent) स्वयं निर्माता-एक्सपोर्टर नहीं है , अत: वह स्वयं फार्म-ई जारी नहीं कर सकता है और उपरोक्त स्थिति में निर्माता-एक्सपोर्टर द्वारा चूंकि सीधे खरीद कच्चे आढ़तिया से नहीं की गयी है , इस कारण वह भी ऐसे कच्चे आढ़ती को फार्म-ई जारी नहीं कर सकता है। अत: ऐसी स्थिति में उक्त नोटिफिकेशन निर्माता-एक्सपोर्टर द्वारा पक्के आढ़तिया (Purchasing Commission Agent) के माध्यम से खरीद किए जाने की दशा में लागू नहीं होगा।

9- जहाँ तक निर्माता-एक्सपोर्टर द्वारा कच्चे आढ़ती को संगत क्रम में की गयी खरीद के सापेक्ष भुगतान किए जाने के मोड का संबध है , यह व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में जिस प्रकार भुगतान किया जाता है , उसी प्रकार करना होगा इसके लिए कोई विशेष निर्देश निर्गत नहीं किए जा सकते हैं।

कृपया उक्त विधिक स्थिति के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

यह वस्तुस्थिति कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में स्पष्ट की जा रही है।

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ः

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0 ।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश ।
(11) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(12) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश ।
(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग, इलाहाबाद।
(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगं जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि 0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में ।
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ ।
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ ।
(25) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) उ0प्र0 ।
(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुॅज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलश़फा लखनऊ।
(29) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(30) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(31) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(32) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(33) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(34) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(35) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(36) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(37) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
(38) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
(39) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(40) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(41) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(42) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(43) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।

(44) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
(45) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(46) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।

(47) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(48) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(49) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(50) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(51) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(52) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(53) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(54) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(55) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(56) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(57) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
(58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
(59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
(60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
(61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
(63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
(64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
(66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।
(67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
(68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
(69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
(70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0) ।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश